ग्राम पंचायत दरोगणू , विकास खण्ड भवारना, ज़िला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024

भाग-एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत दरोगणू, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति वीना देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री कुलदीप चंद	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अरुण कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1 .	श्री अश्वनी कुमार	01/04/2022 से 27/01/2024
2.	श्री चंदन कुमार	28/01/2024 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत दरोगणू के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	**0.89**
2.	4.3	ई ग्राम स्वराज (Online) पर लेखों को नियमानुसार संधारण/अद्यतन न करने के कारण हस्तलिखित लेखों के आकड़ों में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना	**21.33**
3.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	**6.30**
4.	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	**0.36**
5.	8.1	आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप राजस्व की संभावित वित्तीय हानि	**0.26**

6.	8.2	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	**6.23**
7.	8.3	स्थायी व अस्थायी भण्डार का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना	**8.92**
8.	8.4	मूल बिल अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना	**1.12**
9.	9.1	मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के मस्ट्रोलों को भुगतान हेतु पारित न करना, मस्ट्रोल का निर्माण एवं सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करना और बिना संयुक्त अदायगी आदेश के मस्ट्रोल का भुगतान करना	**2.60**
10.	10.3	विवाह पंजीकरण से प्राप्त शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करना	**0.05**

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत दरोगणू, विकास खण्ड भवारना, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 26.06.2024 से 03.07.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	10/2022	08/2022
2023-24	02/2024	12/2023

__अस्वीकरण (Disclaimer):__ - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5600/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 07/2024/दरोगणू दिनांक 03.07.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 21 दिनांक 03.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. __वित्तीय स्थिति__:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 17/2024 दिनांक 26.06.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में भी दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	666278.62	494443.00	1160721.62	525665.00	635056.62
2023-24	635056.62	612646.00	1247702.62	820201.00	427501.62

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1373451.50	3922458.57	5295910.07	3909945.57	1385964.50
2023-24	1385964.50	3557661.00	4943625.50	4313394.00	630231.50

कुल योग (1+2) = 427501.62 + 630231.50 = **1057733.12**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अन्तशेष **₹10,57,733.12** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹11,46,657.12 (परिशिष्ट - " ग ")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है: -

क्र०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	सभा निधि (SF)/ 5 वां राज्य वित्त (5TH STATE)/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA)	KCCB पालमपुर	20141006875	430357.62
2	क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)/राज्य आपदा राहत कोष	IDBI बैंक पालमपुर	0706104000046297	41903.00

	(SDRF)			
3	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	IDBI बैंक पालमपुर	0706104000046288	109894.00
4	सांसद निधि (MPLAD)	IDBI बैंक पालमपुर	0706104000046260	8045.00
5	ज़िला परिषद (ZP)	IDBI बैंक पालमपुर	0706104000046163	14420.00
6	पंचायत समिति (PS)	IDBI बैंक पालमपुर	0706104000046303	323.00
7	आदर्श ग्राम योजना (AGY)	IDBI बैंक पालमपुर	0706104000052720	135.00
8	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	IDBI बैंक पालमपुर	0706104000046312	52959.00
9	आई०पी०एच० (IPH)	IDBI बैंक पालमपुर	0706104000046303	438.50
10	15 वां वित्त आयोग (15TH FC)	IDBI बैंक पालमपुर	0706104000046256	488182.00
11	हस्तगत शेष (स्व स्त्रोत)			0.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योग :			1146657.12
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-			**1146657.12**
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति पैरा4(क) के अनुसार अन्तशेष :-			**1057733.12**
	अंतर :-			**88924.00**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.89 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना:-

ANNUAL REPORT

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उक्त पैरा 4 के अनुसार **₹88,924.00** की राशि का अन्तर पाया गया जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/दरोगणू दिनांक 03.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 19 दिनांक 03.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक शेषों से मिलान कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 खाता "क" तथा "ख" को नियमानुसार संधारित न करने बारे: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता-क खोला जाएगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियाँ और प्राप्त ऋण के

लिये खाता-ख खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए. (5)सी (15)-(13) (एल) 5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अपनी आय (स्वः-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था, बल्कि स्वः-स्त्रोत में 5वां राज्य वित्त आयोग अनुदान व राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान से प्राप्त राशि का आय व्यय सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार निम्नलिखित अनुदानों के लिए संयुक्त बैंक खाता खोलने संबंधी आपत्ति पाई गई:-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०
1	सभा निधि (SF)/ 5 वां राज्य वित्त (5TH STATE)/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA)	KCCB पालमपुर	20141006875
2	क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)/राज्य आपदा राहत कोष (SDRF)	IDBI बैंक पालमपुर	0706104000046297

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण सभा निधि, 5वां राज्य वित्त, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान, क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना व राज्य आपदा राहत कोष अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/दरोगणू दिनांक 03.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 19 दिनांक 03.07.2024 द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में नियमानुसार खाता "क" व "ख" को पृथक कर लिया जाएगा

और स्कीमवार अनुदानों के पृथक बैंक खाते खोल लिए जाएंगे व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार खाता "क" व "ख" को पृथक करना सुनिश्चित किया जाए और सभा निधि, 5वां राज्य वित्त, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान, क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना व राज्य आपदा राहत कोष अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 ई ग्राम स्वराज (Online) पर लेखों को नियमानुसार संधारण/अद्यतन न करने के कारण हस्तलिखित लेखों के आकड़ों में ₹ 21.33 लाख का बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है, जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अंतर्गत E-Panchayat में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा ई-ग्राम स्वराज (Online)दोनों माध्यम से किया जा रहा था तथा जो लेखे ई-ग्राम स्वराज में बनाये जा रहें थे, बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही से मिलान नहीं खाते। परिणामस्वरूप दिनांक 31.03.24 को **₹ 21,32,750.88** का अंतर बहुत ज्यादा पाया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

(क) ई ग्राम स्वराज में दर्ज वार्षिक प्राप्ति/व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार वार्षिक प्राप्ति/व्यय में अंतर का विवरण (Except MNREGA) :-

वित्तीय वर्ष	प्राप्ति			भुगतान		
	रोकड़ बही अनुसार राशि	ई-ग्राम स्वराज अनुसार राशि	अंतर की राशि	रोकड़ बही अनुसार राशि	ई-ग्राम स्वराज अनुसार राशि	अंतर की राशि
2022-23	₹20,84,518.00	₹16,16,000.00	₹4,68,518.00	₹21,03,227.00	₹17,31,240.00	₹3,71,987.00
2023-24	₹17,82,658.00	₹11,88,246.00	₹5,94,412.00	₹27,45,946.00	₹13,83,463.00	₹13,62,483.00

ANNUAL REPORT

(ख) ई ग्राम स्वराज में दर्शाये गए बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष तथा बैंक पास बुक अनुसार अंतशेष व हस्तगत नगद शेष में अंतर का विवरण (Except MNREGA) :-

वित्तीय वर्ष	ई-ग्राम स्वराज अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष	बैंक पास बुक अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष	अंतर
2023-24	2870244.00 + 409164.00 (हस्तगत नगद) = 3279408.00	11,46,657.12 + 0.00 (हस्तगत नगद) = 11,46,657.12	**₹ 21,32,750.88**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/दरोगणू दिनांक 03.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 19 दिनांक 03.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण ई ग्राम स्वराज पर कर लिया जाएगा व अंतर का मिलान करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार नहीं किया गया था अपितु कार्यवाही रजिस्टर में तैयार एवं पारित किया गया था। सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन को निर्धारित प्रारूप -11 के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व:-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/दरोगणू दिनांक 03.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 19 दिनांक 03.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन की दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

6. अनुदान राशि ₹6.30 लाख का अवरोधन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 17/2024 दिनांक 26.06.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹ 6,30,231.50** की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/दरोगणू दिनांक 03.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 19 दिनांक 03.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी को स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

ANNUAL REPORT

7. पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹0.36 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/दरोगणू दिनांक 28.06.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 14 दिनांक 29.06.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹50/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹35,550.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.23 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " घ "** पर संलग्न है। संपत्ति कर/गृहकर से संबंधित मांग व संग्रहण पंजिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि केवल वर्ष 2022-23 तक ही मांग व संग्रहण पंजिका का अद्यतन किया गया था व वर्ष 2023-24 में इसका अद्यतन नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता लगाया जा सके। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

वसूली हेतु शेष संपत्ति कर / गृहकर राशि का विवरण :-

अवधि	अथशेष	कुल परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग (कालम 2+5)	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि (कालम 6-7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2022-23	₹ 49,200.00	400	₹ 50.00	₹ 20,000.00	₹ 69,200.00	₹ 22,250.00	₹ 46,950.00
2023-24	₹ 46,950.00	432	₹ 50.00	₹ 21,600.00	₹ 68,550.00	₹ 33,000.00	₹ 35,550.00

उक्त तालिका में वर्णित आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, यदि बकाया पंचायत राजस्व ऐसे ही बढ़ता रहा तो किसी समय पर इसे वसूल पाना असम्भव हो जायेगा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/दरोगणू दिनांक 03.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 19 दिनांक 03.07.2024 द्वारा अंकेक्षण

को अवगत करवाया गया कि गृहकर रजिस्टर का संधारण कर लिया जाएगा व गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की नियमानुसार तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राशि ₹0.26 लाख के राजस्व की संभावित वित्तीय हानि

ANNUAL REPORT

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान व्यय चयनित माह 08/2022 व 12/2023 के बिल एवं वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट - " ङ "** पर संलग्न विवरणानुसार **₹25,736.50** का संभावित अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/दरोगणू दिनांक 03.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया,

जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 20 दिनांक 03.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि शीघ्र ही नियमानुसार वसूली कर ली जाएगी।

अतः राशि **₹25,736.50** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Nonferrous mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाया जाए व इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिये जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹ 6.23 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

ANNUAL REPORT

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकताओं तथा निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 08/2022 व 12/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹ 6,23,112.00** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " च "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/दरोगणू दिनांक 03.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 20 दिनांक 03.07.2024 द्वारा बताया गया कि समय के अभाव तथा कार्य की आकस्मिकता के कारण उस समय निविदायें नहीं ली जा सकीं व अब नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित एवं नियमानुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये इसको सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.3 स्थायी व अस्थायी भण्डार ₹8.92 लाख का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना

ANNUAL REPORT

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय की गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 08/2022 व 12/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **₹892414.00** के भण्डार को भंडार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " छ "** में दिया गया है, जिससे किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/दरोगणू दिनांक 03.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 20 दिनांक 03.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि समय के अभाव के कारण स्टॉक/स्टोर का

स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है व इसे लेखांकित कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रतिउत्तर तथ्य रहित एवं नियमानुकूल न होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का नियमानुसार भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.4 राशि ₹1.12 लाख के मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 08/2022 व 12/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रारूप बिल (Proforma Bill) के आधार पर **₹1,12,293.00** राशि की सोलर लाइटों का क्रय हिमऊर्जा से किया गया व निम्न विवरण अनुसार इस भुगतान से सम्बन्धित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए :-

क्रम संख्या/ अनुदान	**वाउचर संख्या/ दिनांक**	**विवरण**	**आपूर्तिकर्ता**	**राशि**
1. 15th FC	XVFC/2023-24/P/99/17.12.23	SPV Street Lighting System 9 watt	H.P. Govt. Energy Development Agency (हिमऊर्जा) (₹13,070 x 01 no.)	₹ 13,070.00

ANNUAL REPORT

2. 15th FC	XVFC/2023-24/P/100/17.12.23	SPV Street Lighting System 9 watt	H.P. Govt. Energy Development Agency (हिमऊर्जा) (₹12,599 x 02 no.)	₹ 25,198.00
3. 15th FC	XVFC/2023-24/P/101/17.12.23	SPV Street Lighting System 12 watt	H.P. Govt. Energy Development Agency (हिमऊर्जा) (₹14,805 x 05 no.)	₹ 74,025.00
			कुल	**₹1,12,293.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/दरोगणू दिनांक 03.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 20 दिनांक 03.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि हिमऊर्जा द्वारा मूल बिल प्रदान नहीं किया गया है जिस कारण मांगे गए मूल बिल को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर मूल बिल प्राप्त कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.5 बिल / वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के व्यय चयनित माह 08/2022 व 12/2023 के दौरान बिलों के भुगतान हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है:-

क्र ० स ०	वर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि
1.	2022-23	08/2022	**6,39,094.00**
2.	2023-24	12/2023	**8,95,094.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/दरोगणू दिनांक 03.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 20 दिनांक 03.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस त्रुटि को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

9. मस्ट्रोल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने हेतु प्रतिपादित नियमों की अवहेलना बारे :-

ANNUAL REPORT

9.1 मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के राशि ₹2.60 लाख के मस्ट्रोलों को जारी करने के रजिस्टर में प्रविष्टि न करना, मस्ट्रोल का निर्माण एवं सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करना और बिना संयुक्त अदायगी आदेश के मस्ट्रोल का भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 102(1 से 7) में मस्टर रोल को जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं, नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार मस्ट्रोल का सहभागी कमेटी व सतर्कता कमेटी से सत्यापन करवाना प्रावधित है व नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित मस्ट्रोलों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹2,59,894.00** का भुगतान उपरोक्त वर्णित

नियमों की अवहेलना के उपरांत किया गया है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - "ज"** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/दरोगणू दिनांक 03.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 20 दिनांक 03.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि भविष्य में नियमानुसार मस्ट्रोल को रजिस्टर में प्रविष्टि कर जारी किया जाएगा, मस्ट्रोल का सहभागी कमेटी व सतर्कता कमेटी से सत्यापन कर और संयुक्त अदायगी आदेश के साथ ही मस्टर रोल का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विभिन्न निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल में पाई गई त्रुटि व किये गए भुगतान को उच्च अधिकारियों की नमूना जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए व भविष्य में उपरोक्त वर्णित नियमों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में स सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गई थीं, परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.2 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के "परिशिष्ट -ई" में दिए गये अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा था उदाहरणार्थ ऊपर वर्णित **पैरा संख्या 9.1**, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.06 लाख की वसूली बारे : -

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹5625.00** की वसूली नहीं की गई थी, जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/दरोगणू दिनांक 28.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 03.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि वर्तमान अंकेक्षण के दौरान वसूली कर ली गई है व प्राप्त राशि को सभा निधि खाता बैंक संख्या 20141006875 में जमा करवा दिया गया है जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:-

क्र० सं०	आवेदनकर्ता	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	श्री दीपक कुमार	12-04-2022	05-05-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
2	श्री सन्नी ठाकुर	23-04-2022	18-05-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
3	श्री सुरिन्द्र कुमार	10-05-2022	23-05-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
4	श्री शशि कुमार	21-04-2022	25-05-2022	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
5	श्री धर्मेन्द्र कुमार	23-04-2022	06-06-2022	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
6	श्री अमित भट्ट	08-07-2022	19-07-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
7	श्री बालक राज	30-07-2022	12-08-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
8	श्री विकास भट्ट	27-09-2022	17-10-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
9	श्री रोहित कुमार	02-12-2022	19-12-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
10	श्री अनुज कुमार	02-12-2022	19-12-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
11	श्री विजय कुमार	08-12-2022	02-01-2023	₹ 25.00	₹ 0.00	₹ 25.00
12	श्री प्रीतम चंद	26-01-2023	08-02-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
13	श्री रनजीत सिंह	26-01-2023	21-02-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
14	श्री अरुण कपूर	16-02-2023	01-03-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
15	श्री अंकुश ठाकुर	16-02-2023	01-03-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
16	श्री देशराज	26-01-2023	02-03-2023	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
17	श्री उत्तम चंद	22-02-2023	16-03-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
18	श्री अश्वनी कुमार	23-06-2023	15-07-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
19	श्री रिक्कु कुमार	10-07-2023	20-07-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
20	श्री विनोद कुमार	26-06-2023	08-08-2023	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
21	श्री अरुण कुमार	24-09-2023	18-10-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
22	श्री सम्मी कुमार	22-11-2023	29-11-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
23	श्री विनोद कुमार	08-12-2023	30-12-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
24	श्री गुलशन कुमार	31-01-2024	28-02-2024	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
25	श्री रमेश कुमार	28-02-2024	19-03-2024	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
			कुल योग	**₹ 5,625.00**	**₹ 0.00**	**₹ 5,625.00**

अंकेक्षण के दौरान उक्त वसूली से सम्बन्धित रसीदों एवं बैंक पास बुक के अवलोकन उपरांत पुष्टि कर ली गई है व परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाये और विवाह पंजीकरण के समय ही शुल्क वसूली सुनिश्चित की जाये।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, समुचित लेखांकन प्रक्रिया के अभाव में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 6 की अनुपालना सम्भव नहीं है तथा किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	**रजिस्टर/अभिलेख**	**संदर्भित नियम**	**फॉर्म संख्या**
1.	निवेश रजिस्टर	12	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15 (1)	----
3.	वर्गीकृत सार	29 (4)	8
4.	अस्थाई अग्रीमों का रजिस्टर	30	09
5.	अनुदान रजिस्टर	(1)	21
6.	तकनीकी जांच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आंकलन का रजिस्टर	95(1)	31
7.	निर्माण कार्य रजिस्टर	103	-------

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/दरोगणू दिनांक 28.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16 दिनांक 03.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/दरोगणू दिनांक 03.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 20 दिनांक 03.07.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. **लघु-आपत्ति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. **निष्कर्ष** :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही, जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

25 SEP 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

4624 – 4628 का०/प्रति०

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)223/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक् माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत दरोगणू विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

25 SEP 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/प्रति०

(परिशिष्ट "   " पैरा संख्या "   " के संदर्भ में)

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP DAROGNU FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	666278.62	494443.00	1160721.62	525665.00	635056.62
2023-24	635056.62	612646.00	1247702.62	820201.00	427501.62

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1373451.50	3922458.57	5295910.07	3909945.57	1385964.50
2023-24	1385964.50	3557661.00	4943625.50	4313394.00	630231.50

Total Checked
S.A.

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दरोगणू
विकास खण्ड पालमपुर
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

(परिशिष्ट "   "   पैरा संख्या "   " के संदर्भ में)

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP DAROGNU FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	SDP/SDRF	2022-23	180402.00	508076.00	688478.00	645687.00	42791.00
		2023-24	42791.00	176312.00	219103.00	177200.00	41903.00
2	VKVNY	2022-23	108515.00	212123.00	320638.00	261543.00	59095.00
		2023-24	59095.00	573017.00	632112.00	522218.00	109894.00
3	MPLAD	2022-23	7579.00	230.00	7809.00	0.00	7809.00
		2023-24	7809.00	236.00	8045.00	0.00	8045.00
4	ZP	2022-23	13586.00	411.00	13997.00	0.00	13997.00
		2023-24	13997.00	423.00	14420.00	0.00	14420.00
5	PS	2022-23	15719.00	315.00	16034.00	15719.00	315.00
		2023-24	315.00	8.00	323.00	0.00	323.00
6	AGY	2022-23	26927.00	535.00	27462.00	27331.00	131.00
		2023-24	131.00	4.00	135.00	0.00	135.00
7	SBM	2022-23	49895.00	1510.00	51405.00	0.00	51405.00
		2023-24	51405.00	1554.00	52959.00	0.00	52959.00
8	IPH	2022-23	414.50	12.00	426.50	0.00	426.50
		2023-24	426.50	12.00	438.50	0.00	438.50
9	15TH FC	2022-23	970414.00	866863.00	1837277.00	627282.00	1209995.00
		2023-24	1209995.00	418446.00	1628441.00	1226327.00	402114.00
10	MGNREGA	2022-23	0.00	2332383.57	2332383.57	2332383.57	0.00
		2023-24	0.00	2387649.00	2387649.00	2387649.00	0.00

Total checked
S.A.

कुलदीप चन्द
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दरोगणू
विकास खण्ड सुलहपुर/भवारना
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

(परिशिष्ट "   " पैरा संख्या "   " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत दरोगणू , वि०ख० भवारना, ज़िला कांगड़ा हि०प्र०176061

ग्राम पंचायत दरोगणू के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक अंत शेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1	सभा निधि (SF)/ 5 वां राज्य वित्त (5TH STATE)/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA)	KCCB पालमपुर	20141006875	430357.62	427501.62
2	क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)/राज्य आपदा राहत कोष (SDRF)	IDBI बैंक पालमपुर	0706104000046297	41903.00	41903.00
3	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	IDBI बैंक पालमपुर	0706104000046288	109894.00	109894.00
4	सांसद निधि (MPLAD)	IDBI बैंक पालमपुर	0706104000046260	8045.00	8045.00
5	ज़िला परिषद (ZP)	IDBI बैंक पालमपुर	0706104000046163	14420.00	14420.00
6	पंचायत समिति (PS)	IDBI बैंक पालमपुर	0706104000046303	323.00	323.00
7	आदर्श ग्राम योजना (AGY)	IDBI बैंक पालमपुर	0706104000052720	135.00	135.00
8	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	IDBI बैंक पालमपुर	0706104000046312	52959.00	52959.00
9	आई०पी०एच० (IPH)	IDBI बैंक पालमपुर	0706104000046303	438.50	438.50
10	15 वां वित्त आयोग (15TH FC)	IDBI बैंक पालमपुर	0706104000046256	488182.00	402114.00
			जोड़ (क)	1146657.12	1057733.12
			हस्तगत शेष (ख)	0.00	0.00
			कुल जोड़ (क + ख)	1146657.12	1057733.12

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-	
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	1146657.12
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	1057733.12
अंतर :-	88924.00

J.A.

कुलदीप चन्द
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दरोगणू
विकास खण्ड भवारना
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

(परिशिष्ट "   " पैरा संख्या "   " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत दरोगणू , वि०ख०भवारना, ज़िला काँगड़ा हि. प्र. 176061

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 400 परिवारों का ₹50/- प्रति परिवार तथा 2023-24 में 432 परिवारों का ₹50/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 49,200.00	400	₹ 50.00	₹ 20,000.00	₹ 69,200.00	₹ 22,250.00	₹ 46,950.00
2023-24	₹ 46,950.00	432	₹ 50.00	₹ 21,600.00	₹ 68,550.00	₹ 33,000.00	₹ 35,550.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि **₹35,550/-** है।						

J.A.

कुलदीपचन्द
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दरोगणू
विकास खण्ड ... /भवारना
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

परिशिष्ट " I ", पैरा संख्या " 8.1 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत दरोगनू द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को राशी ₹0.26 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा0 सं ० / दिनांक	बिल सं ०/ दिनांक	मद का नाम (बिल अनुसार)	Qty (cft)	Qty (Cum)	Determining Factor	Qty MT	Royality (Per MT)	Due Royality
	15 वां वित्त आयोग (15TH FC)									
1	Madarashi Ram	XVFC/2022-23/P/5/30.08.22	090/20.08.2022	रेत	200	5.664	1.62	9.175	80	734.00
2				क्रेशर	200	5.664	1.52	8.609	80	688.72
3				पत्थर	300	8.496	2.24	19.031	80	1522.48
4	Madarashi Ram	XVFC/2022-23/P/6/30.08.22	094/20.08.2022	क्रेशर	150	4.248	1.52	6.457	80	516.56
5	Madarashi Ram	XVFC/2022-23/P/7/30.08.22	095/20.08.2022	क्रेशर	400	11.328	1.52	17.218	80	1377.44
6				पत्थर	300	8.496	2.24	19.031	80	1522.48
7	Madarashi Ram	XVFC/2022-23/P/8/30.08.22	092/20.08.2022	क्रेशर	200	5.664	1.52	8.609	80	688.72
8				रेत	200	5.664	1.52	8.609	80	688.72
9	Madarashi Ram	XVFC/2023-24/P/79/17.12.23	98/12.07.2023	Sand/Aggregate	400	11.328	1.62	18.351	80	1468.08
10	Madarashi Ram	XVFC/2023-24/P/82/17.12.23	115/12.07.2023	Sand/Aggregate	300	8.496	1.62	13.763	80	1101.04
11	Madarashi Ram	XVFC/2023-24/P/85/17.12.23	152/19.09.2023	Sand/Aggregate	400	11.328	1.62	18.351	80	1468.08
12	Madarashi Ram	XVFC/2023-24/P/89/17.12.23	151/19.09.2023	Sand/Aggregate	300	8.496	1.62	13.763	80	1101.04
13	Madarashi Ram	XVFC/2023-24/P/93/17.12.23	154/19.09.2023	Sand/Aggregate	300	8.496	1.62	12.914	80	1033.12
14	Madarashi Ram	XVFC/2023-24/P/107/18.12.22	167/25.09.2023	क्रेशर	400	11.328	1.52	17.218	80	1377.44
15				रेत	200	5.664	1.62	9.175	80	734.00
16	Madarashi Ram	XVFC/2023-24/P/110/18.12.22	170/25.09.2023	क्रेशर	400	11.328	1.52	17.218	80	1377.44
17				रेत	200	5.664	1.62	9.175	80	734.00
	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)									
18	Madarashi Ram	09/08.08.2022	086/30.07.2022	Sand/Aggregate	200	5.664	1.62	9.175	80	734.00
	मनरेगा									
19	Madarashi Ram	Nil/22.08.2022	87/17.05.2022	क्रेशर	300	8.496	1.52	12.914	80	1033.12
20	Madarashi Ram	Nil/22.08.2022	82/30.04.2022	क्रेशर	200	5.664	1.52	8.609	80	688.72
									Total	20589.20
									Panelity @ 25 %	5147.30
									कुल राशी	25736.50

Note :- There was no bifurcation of items sand and aggregate in SL. 9 to 13, therefore higher dtermingng factor is considered for royality calculation.

Chandan Kumar
GRS

Technical Assistant
Block Bhawarna G.P. Droghu
Arun Sharma

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दरोगणू
विकास खण्ड पालमपुर/भवारना
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

परिशिष्ट "4", पैरा संख्या "8.2" के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत दरोगणू द्वारा औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना राशी ₹6.23 लाख की सामग्री/स्टॉक के क्रय का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम (बिल अनुसार)	मात्रा	दर	राशी GST सहित	टिप्पणी
	15 वां वित्त आयोग (15TH FC)							
1	Madarashi Ram	XVFC/2022-23/P/5/30.08.22	090/20.08.2022	रेत (Cft)	200	48	₹ 9,600.00	एक ही अखबार में विज्ञापन दिया गया है
2				क्रेशर (Cft)	200	48	₹ 9,600.00	
3				पत्थर (Cft)	300	40	₹ 12,000.00	
4				सीमेंट ढुलाई (per Bag)	45	40	₹ 1,800.00	
5	Madarashi Ram	XVFC/2022-23/P/6/30.08.22	094/20.08.2022	क्रेशर (Cft)	150	48	₹ 7,200.00	
6				सीमेंट ढुलाई (per Bag)	25	40	₹ 1,000.00	
7	Madarashi Ram	XVFC/2022-23/P/7/30.08.22	095/20.08.2022	क्रेशर (Cft)	400	48	₹ 19,200.00	
8				पत्थर (Cft)	300	40	₹ 12,000.00	
9				सीमेंट ढुलाई (per Bag)	40	40	₹ 1,600.00	
10	Madarashi Ram	XVFC/2022-23/P/8/30.08.22	092/20.08.2022	क्रेशर (Cft)	200	48	₹ 9,600.00	
11				रेत (Cft)	200	48	₹ 9,600.00	
12				सीमेंट ढुलाई (per Bag)	45	40	₹ 1,800.00	
13	Madarashi Ram	XVFC/2023-24/P/79/17.12.23	98/12.07.2023	Aggregate	400	48	₹ 19,200.00	
14	Madarashi Ram	XVFC/2023-24/P/82/17.12.23	115/12.07.2023	Aggregate	300	48	₹ 14,400.00	
15	Madarashi Ram	XVFC/2023-24/P/83/17.12.23	165/14.07.2023	सीमेंट ढुलाई (per Bag)	38	40	₹ 1,520.00	
16	Madarashi Ram	XVFC/2023-24/P/85/17.12.23	152/19.09.2023	Aggregate	400	48	₹ 19,200.00	
17	Madarashi Ram	XVFC/2023-24/P/87/17.12.23	267/20.09.2023	सीमेंट ढुलाई (per Bag)	55	40	₹ 2,200.00	
18	Madarashi Ram	XVFC/2023-24/P/89/17.12.23	151/19.09.2023	Sand/Aggregate	300	48	₹ 14,400.00	
19	Madarashi Ram	XVFC/2023-24/P/90/17.12.23	264/20.09.2023	सीमेंट ढुलाई (per Bag)	35	40	₹ 1,400.00	
20	Madarashi Ram	XVFC/2023-24/P/93/17.12.23	154/19.09.2023	Sand/Aggregate	300	48	₹ 14,400.00	
21	Madarashi Ram	XVFC/2023-24/P/95/17.12.23	265/20.09.2023	सीमेंट ढुलाई (per Bag)	35	40	₹ 1,400.00	
22	Kuldeep Welding Works	XVFC/2023-24/P/96/17.12.23	101/20.09.2023	Railing Weight	690	100	₹ 69,000.00	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
23	Kuldeep Welding Works	XVFC/2023-24/P/97/17.12.23	102/20.09.2023	Podi Weight (Stair)	355	100	₹ 35,500.00	
24	Kuldeep Welding Works	XVFC/2023-24/P/98/17.12.23	103/20.09.2023	Gate Weight	66.10	120	₹ 7,932.00	
25	Global Traders	XVFC/2023-24/P/102/17.12.23	002/15.11.2023	Merry Go Round	1	31990	₹ 31,990.00	
26				Garden Climber	1	17989	₹ 17,989.00	
27	Global Traders	XVFC/2023-24/P/103/18.12.23	003/15.11.2023	Chain swing fiber double bolt	1	27240	₹ 27,240.00	
28	Global Traders	XVFC/2023-24/P/104/18.12.23	004/15.11.2023	Pull up Bar	1	6480	₹ 6,480.00	
29				Sea Saw Double	1	13841	₹ 13,841.00	
30				Fiber Slider 10' long	1	28940	₹ 28,940.00	
31				Concrete Bench	3	5000	₹ 15,000.00	
32	Global Traders	XVFC/2023-24/P/105/18.12.23	008/15.11.2023	Water Cooler 60 Ltr with stand and Water Tank	1	55000	₹ 55,000.00	
33	Madarashi Ram	XVFC/2023-24/P/107/18.12.22	167/25.09.2023	क्रेशर (Cft)	400	48	₹ 19,200.00	एक ही अखबार में विज्ञापन दिया गया है
34				रेत (Cft)	200	48	₹ 9,600.00	
35	Madarashi Ram	XVFC/2023-24/P/108/18.12.23	283/25.09.2023	सीमेंट ढुलाई (per Bag)	60	40	₹ 2,400.00	
36	Madarashi Ram	XVFC/2023-24/P/110/18.12.22	170/25.09.2023	क्रेशर (Cft)	400	48	₹ 19,200.00	
37				रेत (Cft)	200	48	₹ 9,600.00	
							₹ 0.00	
	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)							
38	Madarashi Ram	08/08.08.2022	124/20.05.2022	Paver Tile fitting (per sqft)	3628	10	₹ 36,280.00	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
39	Madarashi Ram	08/08.08.2022	123/20.05.2022	सीमेंट ढुलाई (per Bag)	30	40	₹ 1,200.00	एक ही अखबार में विज्ञापन दिया गया है
40	Madarashi Ram	09/08.08.2022	086/30.07.2022	Sand/Aggregate	200	48	₹ 9,600.00	
	मनरेगा							
41	Madarashi Ram	Nil/22.08.2022	87/17.05.2022	क्रेशर	300	48	₹ 14,400.00	
42	Madarashi Ram	Nil/22.08.2022	82/30.04.2022	क्रेशर	200	48	₹ 9,600.00	
						कुल राशि	₹ 6,23,112.00	

Chandan Kumar
GRS

Technical Assistant
Block Bhawarna G.P...

Arun Sharma

कुलदीप चन्द
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दरोगणू
विकास खण्ड पालमपुर
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

31

परिशिष्ट "छ", पैरा संख्या "8.2" के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत दरोगणू द्वारा क्रय किये गये राशी ₹8.92 लाख की सामग्री का विवरण जिसका स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	राशी GST सहित
		15 वां वित्त आयोग (15TH FC)					
1	Madarashi Ram	XVFC/2022-23/P/5/30.08.22	090/20.08.2022	रेत (Cft)	200	48	₹ 9,600.00
2				क्रेशर (Cft)	200	48	₹ 9,600.00
3				पत्थर (Cft)	300	40	₹ 12,000.00
4	Madarashi Ram	XVFC/2022-23/P/6/30.08.22	094/20.08.2022	क्रेशर/रेत (Cft)	150	48	₹ 7,200.00
5	Madarashi Ram	XVFC/2022-23/P/7/30.08.22	095/20.08.2022	क्रेशर/रेत (Cft)	400	48	₹ 19,200.00
6				पत्थर (Cft)	300	40	₹ 12,000.00
7	Madarashi Ram	XVFC/2022-23/P/8/30.08.22	092/20.08.2022	क्रेशर (Cft)	200	48	₹ 9,600.00
8				क्रेशर/रेत (Cft)	200	48	₹ 9,600.00
9	H.P.C.S.C Ltd. मारंडा	XVFC/2022-23/P/9/30.08.22	10848/20.08.2022	सीमेंट	25	386.47	₹ 9,662.00
10	H.P.C.S.C Ltd. मारंडा	XVFC/2022-23/P/10/30.08.22	10849/20.08.2022	सीमेंट	40	386.47	₹ 15,459.00
11	H.P.C.S.C Ltd. मारंडा	XVFC/2022-23/P/11/30.08.22	10843/20.08.2022	सीमेंट	45	386.47	₹ 17,391.00
12	H.P.C.S.C Ltd. मारंडा	XVFC/2022-23/P/12/30.08.22	10846/20.08.2022	सीमेंट	45	386.47	₹ 17,391.00
13	H.P.C.S.C Ltd. शिमला	XVFC/2023-24/P/78/17.12.22	10923/12.07.2023	सीमेंट	48	386.47	₹ 18,551.00
14	Madarashi Ram	XVFC/2023-24/P/79/17.12.22	98/12.07.2023	Sand/Aggregate	400	48	₹ 19,200.00
15	H.P.C.S.C Ltd. शिमला	XVFC/2023-24/P/81/17.12.22	10937/12.07.2023	सीमेंट	38	385	₹ 14,630.00
16	Madarashi Ram	XVFC/2023-24/P/82/17.12.22	115/12.07.2023	Sand/Aggregate	300	48	₹ 14,400.00
17	H.P.C.S.C Ltd. शिमला	XVFC/2023-24/P/84/17.12.22	11092/14.07.2023	सीमेंट	55	385	₹ 21,175.00
18	Madarashi Ram	XVFC/2023-24/P/85/17.12.22	152/19.09.2023	Sand/Aggregate	400	48	₹ 19,200.00
19	H.P.C.S.C Ltd. शिमला	XVFC/2023-24/P/88/17.12.22	11091/14.07.2023	सीमेंट	35	385	₹ 13,475.00
20	Madarashi Ram	XVFC/2023-24/P/89/17.12.22	151/19.09.2023	Sand/Aggregate	300	48	₹ 14,400.00
21	H.P.C.S.C Ltd. शिमला	XVFC/2023-24/P/92/17.12.22	11094/20.09.2023	सीमेंट	35	385	₹ 13,475.00
22	Madarashi Ram	XVFC/2023-24/P/93/17.12.22	154/19.09.2023	Sand/Aggregate	300	48	₹ 14,400.00
23	Kuldeep Welding Works	XVFC/2023-24/P/96/17.12.23	101/20.09.2023	Railing Weight	690	100	₹ 69,000.00
24	Kuldeep Welding Works	XVFC/2023-24/P/97/17.12.23	102/20.09.2023	Podi Weight (Stair)	355	100	₹ 35,500.00
25	Kuldeep Welding Works	XVFC/2023-24/P/98/17.12.23	103/20.09.2023	Gate Weight	66.10	120	₹ 7,932.00
26	HIMURJA	XVFC/2023-24/P/99/17.12.23	Bill Not Produced	SPV Street Lighting System 9 watt	1	13070	₹ 13,070.00
27	HIMURJA	XVFC/2023-24/P/100/17.12.23	Bill Not Produced	SPV Street Lighting System 9 watt	2	12599	₹ 25,198.00
28	HIMURJA	XVFC/2023-24/P/101/17.12.23	Bill Not Produced	SPV Street Lighting System 12 watt	5	14805	₹ 74,025.00
29	Global Traders	XVFC/2023-24/P/102/18.12.23	002/15.11.2023	Merry Go Round	1	31990	₹ 31,990.00
30				Garden Climber	1	17989	₹ 17,989.00
31	Global Traders	XVFC/2023-24/P/103/18.12.23	003/15.11.2023	Chain swing fiber double bolt	1	27240	₹ 27,240.00
32				Pull up Bar	1	6480	₹ 6,480.00
33				Sea Saw Double	1	13841	₹ 13,841.00
34	Global Traders	XVFC/2023-24/P/104/18.12.23	004/15.11.2023	Fiber Slider 10' long	1	28940	₹ 28,940.00
35				Concrete Bench	3	5000	₹ 15,000.00
36	Global Traders	XVFC/2023-24/P/105/18.12.23	008/15.11.2023	Water Cooler 60 Ltr with stand and Water Tank	1	55000	₹ 55,000.00
37	H.P.C.S.C Ltd. शिमला	XVFC/2023-24/P/106/18.12.22	0015262/25.09.2023	सीमेंट	60	385	₹ 23,100.00
38	Madarashi Ram	XVFC/2023-24/P/107/18.12.22	167/25.09.2023	क्रेशर (Cft)	400	48	₹ 19,200.00
39				रेत (Cft)	200	48	₹ 9,600.00
40	H.P.C.S.C Ltd. शिमला	XVFC/2023-24/P/109/18.12.22	0015261/25.09.2023	सीमेंट	60	385	₹ 23,100.00
41	Madarashi Ram	XVFC/2023-24/P/110/18.12.22	170/25.09.2023	क्रेशर (Cft)	400	48	₹ 19,200.00
42				रेत (Cft)	200	48	₹ 9,600.00
		क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)					
43	Madarashi Ram	09/08.08.2022	086/30.07.2022	Sand/Aggregate	200	48	₹ 9,600.00
		विधायक क्षेत्र विकास निधि (VKVNY)					
44	H.P.C.S.C Ltd. शिमला	01/26.12.2023	0475388/02.01.2024	सीमेंट	120	385	₹ 46,200.00
						कुल राशि	₹ 8,92,414.00

Chandan Kumar

Technical Assistant
Block Bhawarna G.P. Darognu
Arun Sharma

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दरोगणू
विकास खंड भवारना

(परिशिष्ट " 7 ", पैरा संख्या " 9.1 " के संदर्भ में)

ग्राम पंचायत दरोगणू द्वारा मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के राशि ₹2.60 लाख के मस्टर रोलों को भुगतान हेतु पारित न करना, निर्माण एवं सतर्कता कमेटी द्वारा सत्यापन न करना और बिना संयुक्त अदायगी आदेश के मस्टर रोलों का भुगतान का विविरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	मस्टर रोल संख्या	वा० सं० / दिनांक	भुगतान की गई राशि
1	निर्माण सुरक्षा दीवार कुलदीप चंद की ज़मीन पर	1495	Nil/04.08.2022	₹ 3,800.00
2	निर्माण सुरक्षा दीवार कुलदीप चंद की ज़मीन पर	1496	Nil/04.08.2022	₹ 5,200.00
3		1631	Nil/20.08.2022	₹ 1,800.00
4	निर्माण चेक डैम डिग नाला	1497	Nil/04.08.2022	₹ 10,000.00
5		1498	Nil/04.08.2022	₹ 800.00
6	निर्माण सुरक्षा दीवार मिलाप चंद सुपुत्र सोहनु राम की ज़मीन पर	1499	Nil/04.08.2022	₹ 16,600.00
7	निर्माण सुरक्षा दीवार रोशन लाल सुपुत्र संत राम के घर के नजदीक	1500	Nil/04.08.2022	₹ 8,600.00
8	निर्माण सुरक्षा दीवार रोशन लाल सुपुत्र संत राम के घर के नजदीक	1501	Nil/04.08.2022	₹ 16,400.00
9		1502	Nil/04.08.2022	₹ 2,000.00
10		1636	Nil/20.08.2022	₹ 19,800.00
11		1637	Nil/20.08.2022	₹ 1,800.00
12	निर्माण जीप रोड पूली व्यास देव, कुलदीप चंद, व रवींद्र सिंह की घर की ओर	1503	Nil/04.08.2022	₹ 6,400.00
13		1640	Nil/20.08.2022	₹ 6,600.00
14	निर्माण सुरक्षा दीवार रमेश चंद सुपुत्र महलू राम की ज़मीन पर	1633	Nil/20.08.2022	₹ 15,200.00
15	निर्माण घर PMAY-G REG NO HP103601102	1634	Nil/20.08.2022	₹ 8,000.00
16	निर्माण जीप रोड मेन रोड मोड से त्रिलोक कुमार, संतोष कुमार व सुरेश कुमार की घर की ओर	1638	Nil/20.08.2022	₹ 16,800.00
17	निर्माण मोक्ष धाम हरिजन बस्ती दरोगणू	3041	Nil/04.12.2023	₹ 13,440.00
18		3042	Nil/04.12.2023	₹ 1,920.00
19		3233	Nil/20.12.2023	₹ 11,040.00
20		3234	Nil/20.12.2023	₹ 636.00
21	निर्माण सुरक्षा दीवार आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी के पीछे	3043	Nil/04.12.2023	₹ 14,400.00
22		3240	Nil/20.12.2023	₹ 8,640.00
23	निर्माण खेल मैदान दरोगणू	3044	Nil/04.12.2023	₹ 12,760.00
24	निर्माण खेल मैदान सुकेड़ी	3045	Nil/04.12.2023	₹ 5,088.00
25		3046	Nil/04.12.2023	₹ 1,908.00
26		3241	Nil/20.12.2023	₹ 17,040.00
27		3242	Nil/20.12.2023	₹ 1,050.00
28	निर्माण प्रांगण नजदीक मोक्ष धाम दरोगणू	3235	Nil/20.12.2023	₹ 8,904.00
29	निर्माण रास्ता मेन रोड से गाँव मयाट तक	3047	Nil/04.12.2023	₹ 8,480.00
30		3048	Nil/04.12.2023	₹ 1,908.00
31		3244	Nil/20.12.2023	₹ 9,890.00
32		3245	Nil/20.12.2023	₹ 2,990.00
			कुल योग	₹ 2,59,894.00

Chandan Kumar
GRS

Technical Assistant
Block Bhawarna G.P. Drogna
Arun Sharma

कुलदीप चन्द
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दरोगणू
विकास खण्ड भवारना
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)